न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 144/2012/223 आर टी ए
गुरदेवसिंह पुत्र दयालसिंह जाति तरखान निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. मंगासिंह पुत्र रतनसिंह जाति तरखान निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जसकरण सिंह पुत्र रतनसिंह जाति तरखान निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. सुखदेवसिंह पुत्र रतनसिंह जाति तरखान निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2004 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 89/2003 अनवानी गुरदेवसिंह आदि बनाम जसकरण सिंह आदि

उपस्थित :–
श्री प्रद्युम्नसिंह परमार अधिवक्ता अपीलांट
श्री अशोक बैनीवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 3
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–23.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 एवं अन्य वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत कर चक 1 एलजीडब्ल्यू, 9 एमओडी व 6 एमओडी मे कुल 109.10 बीघा भूमि का बाहमी बंटवारा के आधार पर घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3, 5 ता 7 ने राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 4 द्वारा इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 8 ने जवाब से वादपत्र को स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र को डिक्री किये जाने मे सहमति दी। प्रतिवादी सं. 24 व 25 ने अपने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी सं. 36 राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर चक 9 एमओडी के खाता की 87 की 2.00 बीघा भूमि गैरखातेदारी होने का कथन किया तथा उक्त गैरखातेदारी भूमि को छोड़कर शेष भूमि का खाता विभाजन सहखातेदारान के हक

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

व हिस्सानुसार किये जाने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया तथा डिक्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवा लिया। अपीलांट को कुछ रोज पूर्व सर्वप्रथम यह ज्ञात हुआ है कि चक 9 एमओडी के कि.न. 21 को रेस्पो0 के नाम भी 10 बिस्व दर्ज किया गया है जबकि उक्त कि.न. 21 अपीलांट के कब्जा काश्त मे है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धांतो क विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना अपीलांट व रेस्पो0 व अन्य खातेदारान द्वारा करवाई जा चुकी है। इस कारण आज दिनांक को विवाद केवल अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य होने के कारण उस समय के खातेदारान को पक्षकार के रूप मे संयोजित नही किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा स्पष्ट कथन अंकित किया गया था कि चक 9 एमओडी के प.न. 60/275 कि.न. 11 रेस्पो0 के हिस्सा मे व कि.न. 21 अपीलांट के हिस्सा मे आना तय किया गया था। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका पर अपीलांट व रेस्पो0 कब्जानुसार विभाजन नही कर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किये गये विभाजन के अनुसार अपीलांट को रास्ता व खाला की सुविधा भी नही दी गई है। जबकि मौका कब्जानुसार अपीलांट को कि.न. 21 व रेस्पो0 को कि.न. 11 प्राप्त हुआ है जिसके अपीलांट को रास्ता व खाला की सुविधा प्राप्त हो रही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कि.न. 11, 20, 21 प्रत्येक मे 10 बिस्वा भूमि दी गई है जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित नही किया गया है कि उक्त किला नम्बर मे आधा–आधा हिस्सा किस दिशा मे दिया गया है। राजीनामा मे मात्र भूमि दिये जाने संबंधी तथ्यो की जानकारी अपीलांट को दी गई थी परन्तु विभाजन मे दी गई भूमि हेतु रास्ता व खाला आदि तथ्यो की कोई जानकारी अपीलांट को नही दी गई। इस प्रकार अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा किया गया विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के नियम 18 ता 21 की पालना मे नही हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 एवं अन्य वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत कर चक 1 एलजीडब्ल्यू, 9 एमओडी व 6 एमओडी मे कुल 109.10 बीघा भूमि का बाहमी बंटवारा के आधार पर घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3, 5 ता 7 ने राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 4 द्वारा इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 8 ने जवाब से वादपत्र को स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र को डिक्री किये जाने मे सहमति दी। प्रतिवादी सं. 24 व 25 ने अपने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी सं. 36 राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर चक 9 एमओडी के खाता की 87 की 2.00 बीघा भूमि गैरखातेदारी होने का कथन किया तथा उक्त गैरखातेदारी भूमि को छोड़कर शेष भूमि का खाता विभाजन सहखातेदारान के हक व हिस्सानुसार किये जाने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो एवं मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया तथा डिक्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 एवं अन्य वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए प्रस्तुत कर चक 1 एलजीडब्ल्यू, 9 एमओडी व 6 एमओडी मे कुल 109.10 बीघा भूमि का बाहमी बंटवारा के आधार पर घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया। जिसमे प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3, 5 ता 7 ने राजीनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं. 4 द्वारा इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 8 ने जवाब से वादपत्र को स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा वादपत्र को डिक्री किये जाने मे सहमति दी। प्रतिवादी सं. 24 व 25 ने अपने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी सं. 36 राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत कर चक 9 एमओडी के खाता की 87 की 2.00 बीघा भूमि गैरखातेदारी होने का कथन किया तथा उक्त गैरखातेदारी भूमि को छोड़कर शेष भूमि का खाता विभाजन सहखातेदारान के हक व हिस्सानुसार किये जाने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया गया तथा डिक्री के आधार पर नामान्तरण दर्ज करवा लिया। जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे मुश्तरका खाता मे दर्ज भूमि के समस्त सहखातेदारान/पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नही किया गया था बल्कि राजीनामा मात्र अपीलांट व प्रतिवादीगण सं. 1ता3, 5ता7 के मध्य होना दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समस्त सहखातेदारान/पक्षकारान के सहमति के विभाजन के वाद मे बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये दावा अन्तिम डिक्री किया गया है। अपीलांट ने दौराने बहस तर्क किया है कि कि.न. 11, 20, 21 के पश्चिमी और कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे रास्ता स्वीकृतशुदा है तथा उक्त रास्ता से ही कि.न. 11, 20, 21 मे आवागमन हो रहा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे कि.न. 11, 20, 21 मे किये गये विभाजन के अनुसार कि.न. 11, 20, 21 के पूर्वी हिस्से को रास्ता व खाला की सुविधा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नही दी गई। जबकि मौका कब्जा काश्त के अनुसार कि.न. 11 सालम रेस्पो0 का व कि. न. 21 अपीलांट का है व कि.न. 20 अपीलांट व रेस्पो0 दोनो का आधा आधा है। उपरोक्त परिस्थितियों मे जब विभाजन संबंधी पक्षकारान के मध्य विभाजन होने के बाद भी विवाद है तथा वाद मे समस्त सहखातेदारान/पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नही किया गया है लेकिन उक्त प्रकरण मे मुख्यतः विवाद अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के मध्य चक 9 एमओडी के प.न. 60/275 कि.न. 11, 20 व 21 का है तथा अपीलांट ने भी उक्त अपील इस हद तक प्रस्तुत की है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मे प.न. 60/275 कि.न. 11, 20, 21 मे पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा अनुसार बंटवारा किया गया है लेकिन कौनसा हिस्सा किस काश्तकार को प्राप्त हुआ है, इस संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे कोई विवेचन नही है तथा प्रश्नगत भूमि के लिये खाला व रास्ता की सुविधा के संबंध मे भी कोई विवेचन नही किया गया है। अपीलांट का मुख्य आधार भी यही है कि अपीलाधीन निर्णय मे जो भूमि चक 9 एमओडी की दी गई है उसे रास्ता व खाला की सुविधा नही है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चक 9 एमओडी की भूमि की हद तक को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि चक 9 एमओडी की भूमि के संबंध मे वाद मे प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौका कब्जानुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के नियम 18 ता 21 की पालना मे रास्ता व खाला की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर तद्नुसार अन्तिम डिक्री की जावें।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2004 को चक 9 एमओडी की भूमि की हद तक अपास्त किया जाता है, शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2004 यथावत रखा जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए चक 9

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

एमओडी की भूमि के संबंध मे वाद मे प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौका कब्जानुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 की पालना मे रास्ता व खाला की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 25.05.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जय
Web Copy - Not Offic